

15/10 अधिवक्ता प्राथमिक उपस्थित। अप्राथमिक
को तलवी हो। समान, तलवाना पेश हो।
पत्रावली करते तलवी दिनांक 22/10/24
को पेश हो।

10 वकील फरीद अहमद ग्रीन PO साहब
22/24 अन्य जगह में चलते हैं।
पत्रावली दिनांक 23/10/24 को पेश हो। Kinnu

23/10 प्राथमिक अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राथमिक
अधिवक्ता व प्राथमिक को अक-2 कर 3 बार
आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। अपना
प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अंतगत धारा 212
RPA अधिनियम, अधिनियम में खारिज
किया जाता है। पत्रावली निष्पत्ति होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (रा)
श्री करणपुर